भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5738
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तमिलनाडु में नर्सिंग शिक्षा संबंधी अवसंरचना

†5738. श्री जी. सेल्वमः
श्री सी. एन. अन्नादुरईः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु में नर्सिंग शिक्षा अवसंरचना की वर्तमान स्थिति क्या है और नर्सिंग महाविद्यालयों की संख्या, उनकी जिलावार संख्या तथा उनमें छात्रों की प्रवेश क्षमता कितनी है;

(ख) उक्त राज्य में विशेषकर ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में नर्सिंग शिक्षा अवसंरचना के विस्तार में किन-किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) सरकार द्वारा वित्तीय सहायता, नीतिगत सुधारों और राज्य में नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उपायों सहित उक्त चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या पहल की गई है;

(घ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु में अनुमोदित अथवा स्थापित नए नर्सिंग महाविद्यालयों या प्रशिक्षण संस्थानों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्य में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में नर्सिंग पेशेवरों की कमी को दूर करने में इन पहलों का क्या प्रभाव रहा है; और

(च) क्या सरकार की तमिलनाडु में नर्सिंग शिक्षा और कार्यबल विकास को सुदृढ़ करने के लिए कोई अन्य भावी योजनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (च): भारतीय उपचर्या परिषद (आईएनसी) के रिकार्डों के अनुसार, तमिलनाडु में जीएनएम कार्यक्रम चलाने वाली 194 संस्थाएं और बी.एससी. (नर्सिंग) कार्यक्रम चलाने वाले 221 नर्सिंग कॉलेज कार्यशील हैं। तमिलनाडु में सरकारी/निजी नर्सिंग कॉलेजों की जिलेवार संख्या और छात्रों की प्रवेश-क्षमता का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में है। तमिलनाडु में अनुमोदित अथवा स्थापित नए नर्सिंग कालेजों अथवा प्रशिक्षण संस्थाओं का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में है। सरकार ने राज्य में नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:

(i) "नर्सिंग शिक्षा का संवर्धन - मेडिकल कॉलेज की सहअवस्थिति में नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना" केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत तमिलनाडु में ग्यारह (11) कॉलेजों सहित देश में 157 नर्सिंग कॉलेज संस्वीकृत किए गए हैं।

(ii) केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम 'नर्सिंग सेवाओं का विकास' के तहत नर्सिंग स्कूलों का नर्सिंग कॉलेजों के रूप में उन्नयन करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) पहाड़ी क्षेत्रों में नर्सिंग शिक्षा संस्थाओं के बीच की दूरी को 10 किमी से घटाकर 5 किमी किया गया है।

(iv) अस्पताल और संस्थान के बीच अधिकतम दूरी मैदानी क्षेत्रों में 30 किमी की तुलना में पहाड़ी क्षेत्रों में 50 किमी हो सकती है।

(v) नर्सिंग शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए छात्र-रोगी अनुपात को 1:5 से शिथिल करके 1:3 किया गया है।

(vi) नर्सिंग शैक्षिक संस्थानों के लिए 3 एकड़ भूमि की आवश्यकता में छूट देकर इस आवश्यकता को छात्रावास सहित स्कूल/कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए 54,000 वर्ग फुट का निर्मित भवन किया गया है।

(vii) वर्ष 2013-14 से जीएनएम और बी.एससी. (नर्सिंग) कार्यक्रम खोलने के लिए 100 बिस्तरों वाला मूल अस्पताल होना अनिवार्य है। हालांकि, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों के लिए इसमें छूट दी गई है।

(viii) बी.एससी. (नर्सिंग) कार्यक्रम शुरू करने के लिए शिक्षण संकाय संबंधी मानदंडों में निम्नानुसार छूट दी गई है:

- कम से कम 2 एम.एससी. (नर्सिंग) संकाय उपलब्ध होने चाहिए।
- नर्सिंग शिक्षकों की अर्हता और अनुभव को शिथिल किया गया है।

(ix) सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्नातक कार्यक्रम के बिना एम.एससी. (नर्सिंग) शुरू किए जा सकते हैं। इसके अलावा, एम.एससी. (नर्सिंग) कार्यक्रम के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात को 1:5 से शिथिल करके 1:10 किया गया है।

(x) नर्सिंग संकाय की अधिवर्षिता की आयु बढ़ाकर 70 वर्ष की गई है।

(xi) भारतीय उपचर्या परिषद ने नर्सिंग कार्यक्रमों के लिए स्वीकृत सीटों की अधिकतम संख्या बढ़ाकर 300 कर दी है।

***

अनुलग्नक – I

दिनांक 04.04.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5738 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

31 दिसंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु राज्य में सरकारी/निजी नर्सिंग संस्थानों की जिला-वार संख्या और प्रवेश-क्षमता									
	जीएनएम					बी.एससी. (नर्सिंग)			
	संस्थान			सीटें		संस्था		सीटें	
क्र.सं.	तमिलनाडु राज्य	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी
1	अरियालुर	0	1	0	20	0	0	0	0
2	चेंगलपट्टू	1	3	20	60	0	4	0	290
3	चेन्नई	4	8	350	220	1	10	50	520
4	कोयम्बतूर	1	16	100	555	0	27	0	1870
5	कुड्डालोर	1	6	50	140	0	2	0	160
6	धर्मपुरी	0	6	0	210	0	6	0	350
7	डिंडीगुल	1	6	50	220	0	10	0	570
8	इरोड	1	5	60	100	0	4	0	260
9	कांचीपुरम	2	8	150	250	1	15	50	1230
10	कन्याकुमारी	1	16	100	405	0	20	0	1250
11	करूर	0	2	0	40	0	2	0	110
12	कृष्णागिरी	0	3	0	80	0	4	0	320
13	मदुरै	1	8	100	295	1	7	50	470
14	नागपत्तिनम	1	4	100	130	0	1	0	40
15	नमक्कल	0	5	0	190	0	9	0	670
16	नीलगिरी	1	1	50	20	0	0	0	0
17	पेरम्बलुर	0	3	0	70	0	4	0	350
18	पुदुक्कोट्टई	0	5	0	140	0	5	0	250
19	रामनाथपुरम	1	1	100	40	0	0	0	0
20	रानीपेट	0	1	0	40	0	1	0	50
21	सलेम	1	8	100	200	1	14	50	900
22	शिवगंगा	0	1	0	20	0	3	0	160
23	तेनकासी	0	1	0	35	0	1	0	40
24	तंजावुर	1	9	100	200	0	4	0	300
25	थेनी	1	1	100	20	1	2	50	160
26	तिरुवल्लुर	0	4	0	180	0	10	0	740
27	थूथुकुडी	1	4	100	100	0	4	0	210
28	तिरुचिरापल्ली	1	9	100	200	0	13	0	770
29	तिरुनेलवेली	1	2	100	70	0	9	0	470
30	तिरुप्पुर	1	0	100	0	0	2	0	150
31	तिरुपुर	0	1	0	20	0	3	0	150
32	तिरुवन्नामलाई	0	5	0	170	0	4	0	260
33	वेल्लोर	1	14	100	475	0	6	0	390
34	विल्लुपुरम	0	2	0	100	0	5	0	360
35	विरुधुनगर	1	0	100	0	0	5	0	310

दिनांक 04.04.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5738 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

गत 3 वर्षों के दौरान स्थापित नर्सिंग कॉलेज [बीएससी (नर्सिंग)]					
राज्य	2022	2023	2024	कुल*	2023-24 में स्वीकृत कॉलेजों की संख्या**
अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	1
आंध्र प्रदेश	2	0	0	144	3
अरुणाचल प्रदेश	1	0	2	5	1
असम	0	2	1	23	5
बिहार	2	0	4	18	8
चंडीगढ़	0	0	0	2	--
छत्तीसगढ़	0	10	5	122	5
दादरा और नागर हवेली	0	0	0	1	--
दमन और दीव	0	0	0	1	--
दिल्ली	0	1	1	16	--
गोवा	0	0	3	6	--
गुजरात	0	0	6	112	5
हरियाणा	0	0	1	41	1
हिमाचल प्रदेश	0	0	5	42	3
जम्मू और कश्मीर	0	0	3	24	7
झारखंड	5	3	14	42	5
कर्नाटक	24	7	0	391	4
केरल	1	5	18	161	-
लद्दाख	0	0	0	0	1
लक्षद्वीप	0	0	1	1	--
मध्य प्रदेश	21	0	0	167	14
महाराष्ट्र	0	0	0	109	2
मणिपुर	2	1	2	15	1
मेघालय	0	2	0	4	1
मिजोरम	0	1	0	4	1
नागालैंड	0	0	1	3	2
ओडिशा	1	5	5	54	7
पुदुचेरी	0	0	2	17	-
पंजाब	4	1	3	123	3
राजस्थान	1	0	22	180	23
सिक्किम	0	1	0	4	1
तमिलनाडु	**4**	**0**	**6**	**221**	**11**
तेलंगाना	0	0	13	103	--
त्रिपुरा	0	0	2	6	--
उत्तर प्रदेश	14	9	21	194	27
उत्तराखंड	2	2	2	43	4
पश्चिम बंगाल	36	5	31	121	11

*31 दिसंबर, 2024 तक भारत में कार्यशील बी.एससी. नर्सिंग कॉलेजों की कुल संख्या।

** “नर्सिंग शिक्षा में संवर्धन - नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना” नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत मेडिकल कॉलेजों की सहअवस्थिति में संस्वीकृत कॉलेज।

*****